

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 37

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 1 मई 2024 से 7 मई 2024

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये



गोंदिया में अवैध खनन आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों- एनजीटी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 29 अप्रैल, 2024 को पूछा है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (ओआरएसएसी) द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की आवश्यकता क्यों है। मामला ढेंकनाल में गोंदिया तहसील के निहालप्रसाद गांव की धातु खदान-1 में हुए अवैध खनन के आरोपों से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति बी अमित स्टालेकर की बेंच ने कहा कि, हम इस बात से हैरान हैं कि कथित आपराधिक गतिविधि की जांच में किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की आवश्यकता क्यों है। अदालत ने 22 अप्रैल, 2024 को ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (ओआरएसएसी) के एक पत्र की समीक्षा की, जिसमें कहा गया था कि उपग्रह के आंकड़े केवल आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के समापन के बाद ही उपलब्ध होंगे। इस मामले में 22 अक्टूबर, 2023 को नोटिस जारी किए गए थे, जब कोई आदर्श आचार संहिता या चुनाव नहीं थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि

ओआरएसएसी चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना सर्वेक्षण क्यों नहीं कर सकता और ढेंकनाल के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट क्यों नहीं दे सकता है। एनजीटी ने ढेंकनाल के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ओआरएसएसी रिपोर्ट के साथ हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दाखिल करे। यदि इसका पालन नहीं किया जाता तो ट्रिब्यूनल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 की धारा 26 के प्रावधानों को लागू करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पूर्वी बेंच ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 23 मार्च, 2023 को एनजीटी ने दरभंगा में तीन तालाबों को प्रभावित करने वाले अतिक्रमण और प्रदूषण के स्रोतों को हटाने का आदेश दिया था। ऐसे में इस हलफनामे में कोर्ट ने अधिकारियों से इस बात का जवाब मांगा है

कि इस आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं। बता दें कि 23 मार्च 2023 को अपने फैसले में एनजीटी ने बिहार पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया था। इस समिति को दरभंगा के तीन तालाबों से अतिक्रमण हटाने का काम सौंपा गया था। एनजीटी ने निर्देश दिया था कि बिहार के दरभंगा में दिग्घी, हरई और गंगा सागर तालाबों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए। वहां पर्यावरण-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए घास, झाड़ियां और पेड़ लगाकर उनके किनारों को मजबूत किया जाना चाहिए। इसका उपयोग जनता अपने सार्वजनिक मनोरंजन के लिए कर सकती है।

समिति को इन तालाबों से नालियों को दूर करने और नगर निगम के कचरे को प्रदूषित करने से रोकने के लिए उचित सीवेज प्रबंधन लागू करने का भी काम सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि इन तालाबों के पास सभी अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को तीन महीने के भीतर हटाया जाना चाहिए। वहीं तालाब बचाओ अभियान (टीबीए) की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नागालैंड में एक रैट होल खदान में लगी आग के मामले में नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खान सुरक्षा महानिदेशालय को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि इस आग में छह मजदूरों की मौत हो गई थी। ट्रिब्यूनल ने हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। गौरतलब है कि 27 जनवरी, 2024 को 'द हिंदू ब्यूरो' में इस घटना को उठाया गया था। इस खबर के आधार पर एनजीटी की प्रधान बेंच ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले को बाद में एनजीटी की पूर्वी बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया गया है।

देश में 31 फीसदी बढ़ी खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या, गुरुग्राम में सबसे दूषित रही हवा

नई दिल्ली। देश के बाकी शहरों को पीछे छोड़ गुरुग्राम में हवा जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 301 पर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली, फरीदाबाद में प्रदूषण में गिरावट आई है। जहां दिल्ली में कल के मुकाबले वायु गुणवत्ता में 11 अंको का सुधार आया है। वहीं फरीदाबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में 67 अंकों की गिरावट आई है। इसके बाद वहां वायु गुणवत्ता सूचकांक घटकर 161 पर पहुंच गया है। आंकड़ों की मानें तो कल के मुकाबले प्रदूषित शहरों की संख्या में 31 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिसके बाद इन शहरों का आंकड़ा बढ़कर 21 पर पहुंच गया है। इन शहरों में आसनसोल (267), बल्लभगढ़ (217), बारबिल (258), भरतपुर (238), भिवाड़ी (222), बीकानेर (275), बिलीपाड़ा (202), चरखी दादरी (223), चुरू (236), दौसा (203), धारुहेड़ा (238), दुर्गापुर (250), ग्रेटर नोएडा (234), हाजीपुर (234), झुंझुनूं (237), मंडी गोबिंदगढ़ (250), नागौर (252), पटना (250), सीकर (266), सिंगरौली (201) और श्रीगंगानगर (224) शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ रामनाथपुरम में हवा सबसे ज्यादा साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 16 दर्ज किया गया है। यदि गुरुग्राम से तुलना करें तो रामनाथपुरम में वायु गुणवत्ता का स्तर करीब 19 गुणा कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 17 शहरों में वायु गुणवत्ता %बेहतर% बनी हुई है। इन शहरों में झांसी, मांडीखेड़ा, मैसूर, पालकालाइपेरु, पुदुचेरी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ कल के मुकाबले देश में संतोषजनक वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या में 10 फीसदी की गिरावट आई है, जिसके बाद इन शहरों का आंकड़ा घटकर 80 पर पहुंच गया है। वहीं देश में मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या 128 दर्ज की गई है। कल के मुकाबले देखें तो इन शहरों की संख्या में करीब सात फीसदी का इजाफा हुआ है। इन शहरों में भोपाल, बोईसर, ब्रजराजनगर, बुलन्दशहर, बूंदी, ब्यासनगर, चंद्रपुर, छपरा, कटक, देहरादून, दिल्ली आदि शामिल हैं।

प्लास्टिक एक धीमा जहर जो हमारे जीवन में रच-बस गया

12 महीने तक के बच्चे हर दिन 14,600 से 4.5 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक दूध के साथ निगल जाते हैं

नई दिल्ली। प्लास्टिक एक चमत्कारिक अविष्कार था। एक जादू जैसा, जिसने हमारे रहन-सहन, खान पान, व्यापार यहां तक कि हमारे सांस्कृतिक पहलू तक को झटके से बदल दिया। जिस प्रयोजन के लिए प्लास्टिक बनाया गया था, इस लिहाज से ये अब तक सर्वोत्तम अविष्कार साबित हुआ, पर इसके व्यापक इस्तेमाल के बाद होने वाले दुष्प्रभाव को हम सिरे से भूल गए। और जब तक इसके पर्यावरण और मानव स्वस्थ पर इसके प्रभाव को समझ पाते, तब तक मां के गर्भनाल तक साधारण नमक के साथ घर-घर तक पहुंच चुका है। प्लास्टिक की व्यापकता का आलम यह है कि हम अब जानते और समझते हुए भी सूक्ष्म (माइक्रो) प्लास्टिक को हवा, पानी और खाद्य पदार्थ के साथ ग्रहण कर बीमार होते देखने को अभिशप्त हैं।

हमारे जीवन सबसे पहले प्लास्टिक की बोतलों ने प्रवेश लिया और उनके प्रवेश की कहानी ने ही डिसपोजेबल संस्कृति की शुरुआत की और आज सामाजिक स्तर पर भी इस्तेमाल कर फेंक देने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। 1965 में इटली की एक कंपनी ने भारत में बोतलबंद पानी बेचने की शुरुआत की। शुरू में यह कंपनी यानी बिसलरी मुंबई में कांच की बोतलों में अभिजात्य वर्ग के बीच पानी बेचती थी। फिर देखते-देखते पार्ले ने 1969 में बिसलरी (इंडिया) लिमिटेड को खरीद लिया और बिसलरी ब्रांड नाम के अंतर्गत कांच की बोतलों में पानी बेचना शुरू किया। तभी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद देखते-देखते हम और हमारे देश के लोग उदारीकरण के दौर में थे यानी बाज़ार ने हमारी नब्ज पकड़ ली और प्लास्टिक की बोतलबंद पानी की शुरुआत हो गई। पहली बार पानी की यह बोतल खरीदते हुए मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति का हाथ जरूर कांपा था सबने खुद से एक समझौता किया और बाज़ार के हाथों में खुद को समर्पित कर दिया।

उस दौर में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि प्यासे आदमी की कौन कहे बेजुबान जानवरों और पक्षी को पानी पिलाने वाला यह समाज पानी की खरीद बिक्री में झटके से शामिल हो जाएगा और यह हमारी आदतों में शामिल हो जाएगा। खैर उसके बाद गरीब-अमीर सभी के हाथों में पानी की बोतलें पहुंच गईं, जिसने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि इन बोतलों के पानी के साथ वे जहर पी रहे हैं।

यह दौर बिल्कुल ही संक्रमण काल था जहाँ एक पीढ़ी अपने पूजा-पाठ और अनुष्ठानों में चापाकल तक के पानी से परहेज करती थी, इस परहेज के मूल में चापाकल में लगा चमड़े का वॉशर होता था। फिर देखते-देखते चापाकल में लगने वाले लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप ने ले ली। आज प्लास्टिक ने इस कदर अपनी जगह बनाई कि हमारे घरों में लगी टॉटी, पाइप तो पब्लिक वाटर सप्लाय वाली पाइप भी प्लास्टिक की हो गई। बीच में लोगों को मिट्टी की सुराही, घड़े और सुन्दर बोतलों ने आकर्षित किया तो उन सब की टोंटिया भी प्लास्टिक की होती हैं।

फिर कोविड -19 के बाद हर शहर, गांवों, कस्बों में मिनिरल वाटर पीने का ऐसा चस्का लगा है कि बीस रुपये के पानी के प्लास्टिक के जार का पानी पीने के बाद हम खुद को तथाकथित प्रबुद्ध और प्रभावशाली मानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में यह पता चला है कि एक लीटर बोतलबंद पानी में अनुमानित रूप से औसतन 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं यानी माइक्रोप्लास्टिक। इस शोध की मानें तो हमारी हर यात्रा के बाद या फ्रीज़ में रखी विभिन्न डिजायन की पानी की बोतलों या कोल्ड ड्रिंक के साथ माइक्रोप्लास्टिक पी रहे हैं।



आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में हर मिनट दस लाख से ज्यादा पानी की बोतलें बिकती हैं। भारतीय उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, देश में सालाना 14 लाख टन से अधिक पीईटी प्लास्टिक की खपत होती है, जिसमें आमतौर पर बोतलबंद पानी पैक किया जाता है। यह एक दिन में 3,800 टन से अधिक खपत होती है। इस प्रकार हमारा देश 27.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ मिनिरल वाटर के सबसे तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय बाजारों में से एक है। हमारे देश में पच्चीस करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं और आधे से अधिक बच्चों के पास प्लास्टिक की बोतलें हैं अर्थात हम माइक्रोप्लास्टिक पीते हुए बच्चों की फौज खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ गौर करेंगे तो हम देखते हैं हमारे दूधमुँहे बच्चों को प्लास्टिक की बोतलों में दूध पिलाया जाता है।

आयरिश शोधकर्ताओं के नेचर फूड में प्रकाशित लेख के अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन बेबी बोतलों से प्रति लीटर 16.2 मिलियन तक माइक्रोप्लास्टिक पाये गये। शिशुओं को औसतन प्रतिदिन 1.6 मिलियन कण बोतल से दूध पिलाने से मिलते हैं। इसके लिए बोतलों का स्टरलाइजेशन उच्च तापमान पर किया जाता है जिससे अनजाने ही माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं।

हालिया प्रयोगों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क से विभिन्न प्रकार के विषैले प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें ऑक्सीडेटिव तनाव, चयापचय विकार, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी, साथ ही प्रजनन और विकासात्मक विषाक्तता आदि शामिल हैं। भारत जैसे देश के घरों के छत पर लगाई गई प्लास्टिक की टंकी वर्षों से बदली नहीं जाती। इसके परिणामों का सुदृढ़ अध्ययन अभी बाकी है। छोटे बच्चों की बोतलों में माइक्रोप्लास्टिक के साथ प्रतिबंधित खतरनाक रसायन बीपीए भी पाया गया है। बिस्फेनॉल ए को बीपीए के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अरबों प्लास्टिक के पीनेवाले कंटेनर, डिनरवेयर, भोजन के डिब्बे और खिलौनों की सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए किया जाता है।

अध्ययनों में पाया गया कि यह अंतःस्त्रावी अवरोधक का कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह मनुष्यों में अंतःस्त्रावी गतिविधि को कम या ज्यादा कर सकता है। बिस्फेनॉल ए वसा ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, जो महिलाओं में स्तन कैंसर के खतरे से जुड़ा है।

कुछ अध्ययनों के परिणामों ने नवजात शिशुओं और भ्रूणों पर बिस्फेनॉल ए के प्रतिकूल प्रभावों का संकेत दिया है। कई गैर-सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेप के बाद बोतल के कंटेनर में बीपीए-मुक्त लेबल लगाया जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पाद अन्य हानिकारक रासायनिक यौगिकों से मुक्त है। प्लास्टिक को अधिक लचीला और तोड़ने में कठिन बनाने के लिए फ़ेथलेट्स मिलाया जाता है, जब भोजन को प्लास्टिक में लपेटा जाता है, तो फ़ेथलेट्स भोजन में लीक हो जाते/सकते हैं। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में मांस और पनीर जैसे वसायुक्त खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर फ़ेथलेट्स के संक्रमण की संभावना अधिक होती है। और नतीजा वजन बढ़ना, इंसुलिन का कार्य नहीं करना, सेक्स हार्मोन के स्तर में बदलाव से प्रजनन प्रणाली पर प्रभाव के साथ कई अन्य परिणाम शामिल हैं। जब हम अपने आधुनिक जीवन को बारीक से देखते हैं तो पाते हैं कि हम जाने अनजाने में प्लास्टिक से इस कदर घुल मिल गए हैं कि इसके बिना जीवन संभव प्रतीत नहीं होता। करोड़ों लोगों के लंच बॉक्स के साथ पानी की बोतलें, उनसे निकलते माइक्रोप्लास्टिक और उसे लगातार निगलते हम, एक कठपुतली की तरह खुद को कई खतरनाक बीमारियों के हवाले कर रहे हैं। पैकेट कल्चर का चलन ऐसा चला कि कुछ ग्रामीण और शहरी आबादी प्लास्टिक की थैलियों में फलों के रस के साथ गर्म चाय भी मंगा के पीने लगी है। चीजों को आसान करने के चक्कर में हमने अपने स्वास्थ्य को नियति के हवाले कर दिया है, प्लास्टिक के आसरे छोड़ दिया है।

क्या हैं उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के स्रोत, स्वास्थ्य पर कैसे डालते हैं असर?

कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (आईआईटी कानपुर) के शोधकर्ताओं ने उत्तर भारत में हानिकारक वायु प्रदूषकों के प्रमुख स्रोतों और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल की है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस शोध की अगुवाई आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सच्चिदा नंद त्रिपाठी ने की है। शोध में कहा गया है कि स्थानीय उत्सर्जन, विशेष रूप से विभिन्न ईंधनों के अधूरे तरीके से जलने से, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब होती है जो स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के लिए जिम्मेदार है।

इस बात को लगभग सभी जानते हैं कि भारत में लोग गंदी हवा में सांस ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, उपमहाद्वीप में हर साल 13 लाख मौतें प्रदूषित हवा के कारण होती हैं। पिछले अध्ययनों ने भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता को उजागर किया है, लेकिन इनके सटीक स्रोतों और उनकी पहचान करना एक चुनौती बनी हुई है। प्रो. त्रिपाठी की टीम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों के पांच जगहों से वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का विश्लेषण किया। प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से प्रो. त्रिपाठी ने कहा, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के स्रोतों और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में हमारे शोध से मिली अहम जानकारी हमें वायु गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिक प्रभावी रणनीति विकसित करने में मदद करेगी। शोध से स्थानीय उत्सर्जन और सही से न जलने के कारण होने वाले प्रदूषण का पता लगाने में मदद मिली।

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित शोध में पाया गया कि स्थानीय स्रोत और गतिविधियां पूरे क्षेत्र में भारी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार हैं। प्रदूषण के लिए दिल्ली के अंदर, यातायात, घरों को गर्म करने और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले अमोनियम क्लोराइड और कार्बनिक एरोसोल मुख्य हैं। दिल्ली के बाहर, कृषि संबंधी अवशेषों को जलाने से होने वाले उत्सर्जन और इन उत्सर्जनों से बनने वाले द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल अधिक प्रचलित हैं। समस्या को बढ़ाने वाले ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर, कोयला और पेट्रोल का अधूरा जलना है। इससे हानिकारक कण बनते हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। शोध ने बायोमास और जीवाश्म ईंधन के अधूरे तरीके से जलने के कारण कार्बनिक एरोसोल की पहचान वायु प्रदूषण की ऑक्सीडेटिव क्षमता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक के रूप में की, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से प्रो. त्रिपाठी ने आगे बताया, ऑक्सीडेटिव क्षमता मुक्त कणों से संबंधित है जो तब उत्पन्न होते हैं जब प्रदूषक पर्यावरण या हमारे शरीर में कुछ पदार्थों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये मुक्त कण कोशिकाओं, प्रोटीन और डीएनए के साथ प्रतिक्रिया करके नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ऑक्सीडेटिव क्षमता मापती है कि वायु प्रदूषण से यह प्रतिक्रिया होने की कितने आसार हैं, जो बदले में श्वसन संबंधी बीमारियों, हृदय रोग और समय से पहले बुढ़ापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में जलने की दक्षता में सुधार के लिए इससे संबंधित कार्यों के माध्यम से उत्सर्जन को



कम करने की तत्काल जरूरत है। प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने कहा, यह शोध भारत के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अहम है। उन्होंने कहा प्रोफेसर त्रिपाठी का शोध अहम जानकारी प्रदान करता है जो नीति निर्माताओं और हितधारकों को वायु प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के उनके प्रयासों में मार्गदर्शन कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शोध में व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जो स्थानीय उत्सर्जन स्रोतों को उजागर करती हैं और विशेष रूप से यातायात, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देती हैं। सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना न केवल उत्तर भारत, बल्कि देश के बाकी हिस्सों के लिए भी स्वच्छ हवा और स्वस्थ भविष्य हासिल करने में मदद करेगा।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भालू का अंगीकरण

भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वन्य-प्राणी अंगीकरण योजना एक जनवरी, 2009 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना अंतर्गत मास्टर विवान जोशी इंदौर ने पर्यावरण तथा वन्य-प्राणियों के संरक्षण के प्रति प्रेम की ओर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए नर भालू 'क्रमैक्स' को एक मई, 2024 से तीन माह के लिये गोद लिया। उल्लेखनीय है कि विवान जोशी चौइथराम इंटरनेशनल स्कूल इंदौर के कक्षा नौवीं के छात्र हैं, जिनके द्वारा वन विहार में पहली बार भालू को गोद लिया गया है।

श्री विवान जोशी द्वारा वन विहार के संचालक श्री अवधेश मीना को अंगीकरण के लिये आवश्यक राशि 25 हजार रुपये बैंक के माध्यम से प्रदान की गई। वन विहार की संचालक द्वारा विवान जोशी को नर भालू 'क्रमैक्स' के अंगीकरण बावत प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया। वन्य-प्राणियों को गोद लेने की यह योजना जन-जन में वन्य-प्राणियों के संरक्षण के प्रति सद्भावना के लिये प्रारंभ की गई है। इसमें व्यक्तिगत, संस्था, कॉर्पोरेट सेक्टर, म.प्र. शासन के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर आदि समुदाय के विभिन्न वर्गों की भागीदारी योजना को सही आयाम प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था वन विहार की सूची में दर्शित किसी भी वन्य-प्राणी को मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर गोद ले सकता है। इसके लिये उन्हें इसके लिये नियत राशि म.प्र. टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के नाम भोपाल में देय बैंक अथवा बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। गोद लेने के लिये भुगतान की गई राशि आयकर की धारा-80 जी (एस) के प्रावधानों के अंतर्गत छूट के दायरे में आती है। संबंधित को प्रति सप्ताह अधिकतम छ-सदस्यों को एक वाहन के साथ निशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है। संबंधित के नाम की पट्टिका गोद लिये गये वन्य-प्राणी के बाड़े के समक्ष एवं दोनों प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शन के लिये लगायी जाती है। इस योजना में आज तक 95 वन्य-प्राणियों को गोद लिया जा चुका है, जिससे वन विहार को आज 78 लाख 72 हजार 180 रुपये की आय हो चुकी है।

लापरवाह अफसरों ने कागजों पर ही लगा दिए हजारों पौधे

इंदौर। वर्ष 2017 से 2022 तक वन विभाग ने 78 अलग-अलग साइट पर पौधरोपण किया है। इनकी जानकारी ऑनलाइन ऐप और पोर्टल पर दर्ज भी की गई है, लेकिन अब एक बार फिर विभाग पूरा डाटा खंगाल कर सत्यापित करेगा और पता लगाएगा कि ऐप और मैदानी स्थिति में हरियाली का क्या स्टेटस है। वन विभाग के डीएफओ ने इंदौर और



उसके आसपास की सभी रेंज का डाटा तलब किया है। डीएफओ महेंद्र सोलंकी के मुताबिक वन विभाग के अंतर्गत जहां भी पौधरोपण होता है, उसकी जानकारी ऑनलाइन ऐप पर दर्ज की जाती है। इसकी निगरानी और ग्रीन वाचिंग ऐप से मॉनिटरिंग भी होती है। इस रिकार्ड को अब और अपडेट किया जा रहा है। ताकि शहर के ग्रीन कवर की असल स्थिति की जानकारी मिल सके और उस हिसाब से अगली कार्ययोजना तैयार की जाए। मालूम हो, वन अमले को कुछ साइट्स पर सिर्फ कागजी रिकॉर्ड में ही पौधरोपण किया गया है, इसके बाद अब नई कवायद हो रही है। वन विभाग के पास कई रेंज से शिकायतें पहुंची कि कई जगह कागजों पर पौधरोपण हुआ है। जहां पेड़ होने चाहिए, वहां जंगली घास है और जहां पौधरोपण हुआ था वहां कई पौधे विकसित नहीं हुए। वन विभाग शत-प्रतिशत पौधों के विकास को आदर्श नहीं मानता है। उनमें से कुछ प्रतिशत पौधे ही विकसित होते हैं। जिसे आदर्श माना जाता है, लेकिन आदर्श अनुपात से भी कम कई साइट पर पौधे विकसित हुए हैं। वन विभाग द्वारा किए जाने वाले पौधरोपण की जानकारी ऐप पर दुरुस्त भी नहीं है। इसे भी सही आंकलन के साथ दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए अब इसका अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वन विभाग के अंतर्गत किए गए पौधरोपण और विकसित पौधों की जानकारी ऐप पर हो और उसकी वास्तविक

निगरानी भी हो सके।

लापरवाही करने वाले अफसर होंगे चिन्हित

डीएफओ के मुताबिक, ऐसे अफसर चिन्हित होंगे जिन्होंने ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने और पौधरोपण और उनके विकास में लापरवाही की है। उन अफसरों पर कार्रवाई की भी तैयारी है। हालांकि डीएफओ ने इसकी जानकारी पहले ही तलब कर ली है। जहां ऐप और मैदान की वास्तविकता में अधिक अंतर है। गौरतलब है कि वन विभाग ने पिछले कुछ समय में 78 साइट पर अलग अलग समय पर अभियान चलाकर लाखों पौधे लगाए हैं।

कान्ह नदी की गंदगी से भरी शिप्रा को अब खाली कराया जाएगा...

उज्जैन में नरसिंह घाट पर पहुंच रहा था प्रदूषित पानी

इंदौर। कान्ह नदी का गंदा पानी तमाम प्रयास के बाद भी शिप्रा में पहुंच रहा है। पिछले समय बनाये स्टाप डेम भी फूटने के कारण और डाली गई पाइपलाइन में दबाव के कारण शिप्रा में लगातार गंदा पानी पहुंचने का क्रम रुक नहीं पा रहा है। इसके चलते उज्जैन के नरसिंह घाट पर केमिकल युक्त पानी पहुंच जाने के



कारण मछलियां भी मर रही हैं। अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग त्रिवेणी के आगे शिप्रा के प्रदूषित पानी खाली करने की तैयारी कर रहा है। पानी खाली होने के बाद इंदौर में बनी नर्मदा के पानी से त्रिवेणी पर पानी एकत्र कर शिप्रा को अब नर्मदा का पानी भरा जाएगा।

उज्जैन के घाटों पर नियमित स्नान करने वाले भी इन दिनों गंदे और बदबूदार पानी के कारण स्नान करने नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर कान्ह नदी के गंदे पानी की शिप्रा में पहुंचने के कारण बड़ी तादाद में मछलियां भी मर रही हैं। दरअसल, शिप्रा में कान्ह नदी का प्रदूषित पानी मिल रहा है। इस कारण नदी में गंदगी के साथ केमिकल युक्त पानी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मृत मछलियों के कारण स्नान करना ही मुश्किल हो गया है। अब शिप्रा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को साफ पानी मिले इसे लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दोबारा शिप्रा का पानी बदलने की कवायद में जुट गया है। अधिकारियों के अनुसार शिप्रा में रोके गये

पानी को आगे छोड़ना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद नर्मदा का पानी इसमें भरा जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए एनवीडीए से नर्मदा का दो एमसीएम पानी मांगा है। अब से 8 मई तक शिप्रा में नर्मदा का पानी भरा जाएगा। इससे पंचकोशी यात्रियों को भी स्नान के लिए साफ पानी मिल सकेगा। हालांकि उज्जैन के पर्यावरणविद का कहना है कि शिप्रा का पानी खाली करने के बाद इसकी तलहटी में जमी गाद भी साफ करना चाहिए। प्रदूषण विभाग से सेवानिवृत्त जल वैज्ञानिक डॉ. प्रतिभा जोशी ने बताया तलहटी की गाद साफ न करने से नर्मदा का जो पानी छोड़ा जाएगा, वह भी प्रदूषित हो जाएगा। नर्मदा के पानी से पहले शिप्रा का प्रदूषित पानी को बहाव लाकर खाली किया जाएगा। इसके बाद लगातार उज्जैन इंदौर से त्रिवेणी में धीरे धीरे नर्मदा का पानी लाया जाएगा। इसके लिए एनवीडीए से 2 एमसीएम पानी की डिमांड की है।